वित्त निर्देश- 27/2004

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय

कमांक 708/622/वि/नि/चार/2004 *रायपुर दिनांक 4 अगस्त,2004*

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ ।

विषय :शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण पर यात्रा तथा प्रदेश के बाहर महानगरों में स्थानीय यात्राओं के लिए दरों का पुनरीक्षण ।

--0--

वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 273/562/वि/नि/चार/02 दिनांक 05.04.2003 द्वारा शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनरीक्षण किया गया है । राज्य शासन द्वारा स्थानान्तर पर की गई यात्रा एवं प्रदेश के बाहर महानगरों में स्थानीय यात्राओं के लिए दरों में निम्नानुसार संशोधन का निर्णय लिया गया है -

2. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 1571/नि/182/चार, दिनांक 30 नवम्बर, 1982 की कंडिका 6 को संशोधित करते हुए स्वयं की कार से स्थानान्तर पर यात्रा करने पर परिवहन की दर रूपये 3.00 प्रति किलोमीटर निर्धारित की जाती है ।

3. स्थानान्तर पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक डी-72/2111/88/नि-1/चार, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा निर्धारित स्थानांतर अनुदान की दरें निम्नानुसार संशोधित की जाती है:-

		रूपये
1 (क)	ग्रेड ए शासकीय सेवक - प्रतिमाह 11000 या इससे अधिक वेतन पाने वाले	2000
(ख)	प्रतिमाह 10650 से 10999 तक वेतन पाने वाले	1600
2	ग्रेड बी शासकीय सेवक	1200
3	ग्रेड सी शासकीय सेवक	800
4	ग्रेड डी शासकीय सेवक	600

4. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर. 17-04/96/ब-9/चार, दिनांक 13.7.1996 द्वारा निर्धारित स्थानांतरण पर निजी सामान के परिवहन संबंधी पात्रता एवं दरों को संशोधित करते हुए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती है :-

	शासकीय सेवक की श्रेणी	**रूपये प्रति किलोमीटर**
1	श्रेणी ए	15.00
2	श्रेणी बी	8.00
3	श्रेणी सी	4.50
4	श्रेणी डी	4.00

5. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-22/6/94/सी/चार, दिनांक 4 अक्टूबर,1996 द्वारा प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज की दरें निर्धारित की गई है । उक्त ज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

(क) पैरा 3 में शहरों की सूची में 'सूरत' शहर भी जोड़ा जाये ।

(ख) पैरा 7 में रूपये 5900 के स्थान पर रूपये 18400 पढ़ा जाये ।

(ग) पैरा 8 में रूपये 100 के स्थान पर रूपये 200 पढ़ा जाये ।

6. यह आदेश दिनांक 1.8.2004 या इसके पश्चात् प्रारम्भ की गई यात्राएँ/निजी सामान की ढुलाई पर लागू होंगे ।

7. यह सुनिश्चित किया जाये कि इस आदेश के अन्तर्गत किये गये व्यय विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से अधिक न हों ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सतीश पाण्डेय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 709/622/वि/नि/चार/2004 रायपुर दिनांक 04 अगस्त, 2004

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छग. ।
5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचान आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छग., रायपुर ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(एस.के. चक्रवर्ती)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग